महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

मोहिनी जैन[1], डॉ. मोहम्मद अरशद[2]
[1]शोधार्थी, आईसेक्ट विश्वविद्यालय, (म.प्र.) भारत
[2]सह–प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान संस्थान,
डॉ. बी.आर.अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ.प्र.) भारत

सांराश
प्रस्तुत शोधपत्र में भोपाल महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा का अध्ययन किया गया। इस शोध कार्य में हमनें गुना शहर के 40 महिलाओं को न्यादर्श के रूप में चुना है। आंकड़ों के सकलन के लिए उपकरण के रूप में उपकरण के रूप में घरेलु हिंसा से सम्बन्धित स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध कार्य से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि सर्वाधिक निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाकर घरेलु हिंसा के स्तर को कम किया जा सकता है, सर्वाधिक प्रतिशत महिलाऐ यह मानती है कि शैक्षिक योग्यता का कम होना भी घरेलु हिंसा का एक मुख्य कारण है। उच्च शिक्षा से घरेलु हिंसा को रोका जा सकता है। तथा घरेलू हिंसा का मुख्य कारण लैगिंक भेदभाव हैं। यदि महिलाऐं उच्च शिक्षित होगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी रहेंगी जिसके परिणास्वरूप घर का कोई भी सदस्य उन्हें प्रताड़ित करने से पहले विचार करेगा। अर्थात्, महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास ही उन्हे सफल बनायेगी।

मुख्यबिन्दुः– महिलाऐं, घरेलू हिंसा, शैक्षिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, लैगिंक भेदभाव ।

I प्रस्तावना

आधुनिक परिवेश में महिलाऐं जीवन के हर क्षेत्र जैसे शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, वित्तीय एवं सैन्य सेवाओं आदि में अपना उत्कृष्ट योगदान देकर देश के विकास में सहायता कर रही हैं साथ ही साथ पारिवारिक दायित्वों को भी बखूबी निभा रही हैं। वे किसी भी कार्य में पुरूषों से कम नही है। आज भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक क्षेत्रों में नवीन अधिकार प्राप्त हुए हैं तथा अनेक क्षेत्रों में उन्होंने पुरुषों से अधिक श्रेष्ठता हासिल की है। भारत की चमक बढाती ये महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र मे पुरूषों को कडी टक्कर दे रही हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज पुरूष प्रधान ही है महिलाएं इस समाज में अकेले सुखमय जीवन व्यापन नही कर सकती, अगर घर में कोई पुरूष है तो घर की सुई तक सुरक्षित है लेकिन घर की मुखिया एक औरत है तो घर का हर कोना असुरक्षित ही समझा जाता है। उसकी सरलता ही उसकी दुश्मन बन जाती है। आज भी अधिकांश परिवारों में लड़कियों की उपेक्षा की जाती है और लड़को को लाड़–प्यार दिया जाता है। उदाहरण के लिए कहा जाता है– नारियों के लिए पढ़ने की क्या जरूरत उन्हें कोई नौकरी–चाकरी तो करनी नहीं न किसी घर की मालकिन बनना है। उसके लिए तो घर गृहस्थी का काम सीख लेना ही पर्याप्त है।

II घरेलू हिंसा का अर्थ

परिवार के निकट संबंधियों के बीच होने वाली हिंसा को पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा कहते हैं। पिता तथा माता के बीच, भाई तथा बहनों के बीच भाई तथा भाई के बीच होने वाली हिंसक घटनाऐं पारिवारिक हिंसा के उदाहरण है। पति तथा पत्नी के बीच हिंसक घटनाऐं देखी जाती है। किसी उत्तेजक घटना के कारण व्यक्ति अपने संवेगो पर नियंत्रण खो बैठता है और परिवार के सदस्य या सदस्यों जैसे पत्नी, बच्चे या अन्य सदस्य के साथ शारीरिक हिंसा पर उतर आता है।

III पूर्व शोध कार्य

पटेल, अनीता (2002) ने "महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक ने शोध–पत्र में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मानसिक स्थिति और उनके बच्चों के विकास में हिंसात्मक परिवेश में नकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया है। इस लेख में बताया है कि स्त्री के प्रति घटित घरेलू हिंसा में पति, जेठ, ससुर, देवर के अतिरिक्त सास, जेठानी, देवरानी भी शामिल होती है। अर्थात् पुरूषों के साथ महिलाएँ भी उत्तरदायी होती हैं। उनके अनुसार उत्पीड़न के समाधान के लिए स्त्री को चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में सम्पूर्ण शारीरिक एवं भावनात्मक साहस के साथ–साथ घरेलू हिंसा के अनुकूल निर्णय लें इससे महिलाओं के प्रति उत्पीड़न में कमी आएगी।

सिंह, अनुपम (2011) महिला सशक्तिकरण के अधिनियम का सामाजिक चेतना पर प्रभाव। इन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि महिलाओं को भरण पोषण, उत्तराधिकारी, पी. एन. डी. टी. एक्ट तथा घरेलू हिंसा संबंधी अधिनियमों की जानकारी हो तथा वे उनका आवश्यकता होने पर प्रयोग कर सकें। शोध में इन्होंने महिला विकास के प्रमुख मापक भी बताए जैसे महिला के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन महिलाओं के स्वयं के जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण स्वयं की स्थिति में सुधार व विकास हेतु चेतना जाग्रत होना, उनकी साक्षरता, रोजगार, शिक्षण–प्रशिक्षण, विवाह के प्रति दृष्टिकोण, स्वयं को अबला के स्थान पर सबला समझ पाए तथा शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की प्रवृत्ति का बीजारोपण, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र व प्रत्येक पहलू के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उत्तपत्ति तथा उनकी जागरूकता के कारण समाज में अनेक विकासपूर्ण स्थितियों का विघटन है।

सिंह, धर्मेन्द्र कुमार (2016) ने "महिला यौन उत्पीड़न : समाजशास्त्रीय अध्ययन (वाराणसी नगर के महिलाओं पर आधारित)", शीर्षक पर यह शोध कार्य वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय", जौनपुर (उ.प्र.) से किया। उनके अध्ययन के अनुसार आज विज्ञान हो या समाजशास्त्र, पर्यावरण हो या अंतरिक्ष यात्रा, राजनीति हो या उद्योग, प्रत्येक क्षेत्र में नारी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वस्तुतः आज नारी की सामाजिक

स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। वह घर की चार–दीवारी को लांघकर बाहर आई है, उसने पर्दे में रहना अस्वीकार कर दिया है। इस विषय में हमारी सरकार ने भी पर्याप्त सुविधाएँ जुटाई हैं। अब कन्याओं को पिता की सम्पत्ति में समान भाग का अधिकार बना दिया गया है। विधवा विवाह भी वैध ठहराये गये हैं। घरेलू उत्पीड़न को पूर्ण रूप से अवैधानिक स्वीकार किया गया है। इस परिवर्तन में गैर सरकारी सामाजिक संगठनों एवं महिला संगठनों की महती भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः गैर सरकारी सामाजिक संगठनों एवं महिला संगठनों की सकारात्मक भूमिका उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को आश्रय, सहयोग तथा न्याय प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। वैयक्तिक स्तर पर महिलाएँ शिक्षित होकर, आत्म विश्वास में वृद्धि कर, आत्मनिर्भर होकर, स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर और चरित्र को दृढ़ता प्रदान कर अपने प्रति उत्पीड़न का प्रतिरोध कर सकती हैं। सामाजिक रूप से पारिवारिक सदस्यों के सहयोग तथा व्यवहार के द्वारा महिलाओं पर होने वाले शोषण, जुल्म तथा प्रताड़ना को कम किया जा सकता है। महिलाओं का सबसे बड़ा अधिकार है उन्हें स्वतन्त्र और हिंसा मुक्त रूप से जीवन जीने दिया जाये और एक मानव होने के नाते उन्हें मानवाधिकार के सभी अधिकार दिये जायें।

IV अध्ययन के उद्देश्य

(क) महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा का अध्ययन करना।

(ख) महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा के कारणों का पता लगना।

(ग) महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा का निवारण का पता लगना।

V शोध प्रविधि

(क) अध्ययन का न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए गुना शहर की 40 महिलाओं को लिया गया।

(ख)शोध विधि :–

प्रस्तुत समस्या "महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" के अध्ययन के लिये अनुसंधानकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जायेगा। तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितियक विधियों का प्रयोग किया गया है प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। तथा द्वितियक तथ्यों के संकलन के लिए पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है।

(ग) शोध कार्य में प्रयुक्त्व चर :–

(i) स्वतन्त्र चर – शैक्षिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, लैगिंक भेदभाव

(ii) आश्रित चर – घरेलू हिंसा

(घ) शोध कार्य में प्रयुक्त साख्यिकी :–

शोध कार्य में आंकडों के संकलन के पश्चात उनका परिणाम निकालने के लिए निम्न सांख्यिकी सूत्रों का प्रयोग किया गया।

(i) आवृत्ति

(ii) प्रतिशत

(च) शोध कार्य में प्रयुक्त उपकरण :–

आंकड़ों के संकलन के लिए उपकरण के रूप में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया।

VI तथ्यों का विश्लेषण

सारणी क्रमांक 1

सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं का वर्गीकरण

सामाजिक आर्थिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
उच्च	5	12.5
मध्यम	13	32.5
निम्न	22	55
कुल	40	100

सारणी क्रमांक 1 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित 40 महिलाओ मे से 12.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च स्तर का 32.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर मध्यम स्तर का तथा 55 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न स्तर का है। यहाँ सर्वाधिक संख्या निम्न स्तर की महिलाओ की है।

ग्राफ क्रमांक 1
सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं का आरेखीय प्रस्तुतीकरण

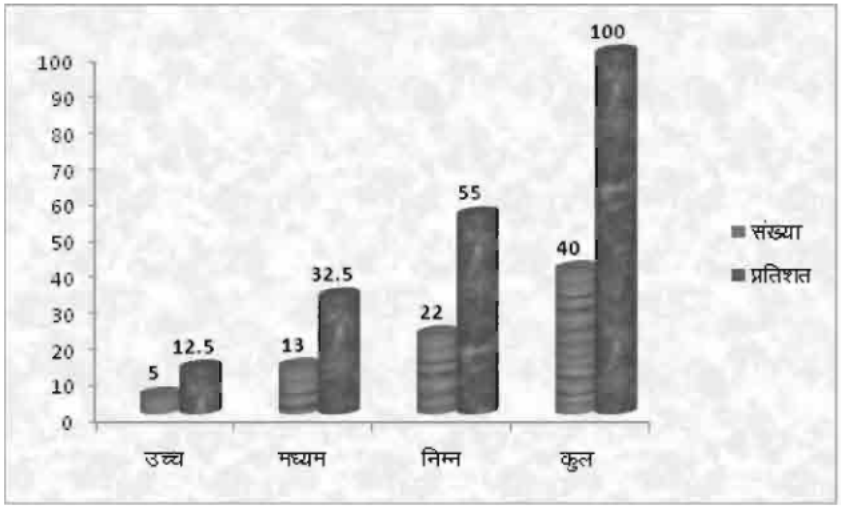

निष्कर्षः–
उपरोक्त गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाकर घरेलू हिंसा के स्तर को कम किया जा सकता है।

सारणी क्रमांक 2
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं का वर्गीकरण

शैक्षणिक योग्यता	संख्या	प्रतिशत
साक्षर	5	12.5
प्राथमिक / माध्यमिक	24	60
उच्च / उच्चतर माध्यमिक	7	17.5
स्नातक / स्नातकोत्तर	4	10
कुल	40	100

सारणी क्रमांक 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित 40 महिलाओं मे से 12.5 प्रतिशत महिलाए केवल साक्षर हैं। सर्वाधिक 60 प्रतिशत महिलाए प्राथमिक/माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं। 17.5 प्रतिशत महिलाएँ उच्च/उच्चतर माध्यमिक तक तथा 10 प्रतिशत महिलाए स्नातक/स्नातकोत्तर तक शिक्षित हैं।

ग्राफ क्रमांक 2
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं का आरेखीय प्रस्तुतीकरण

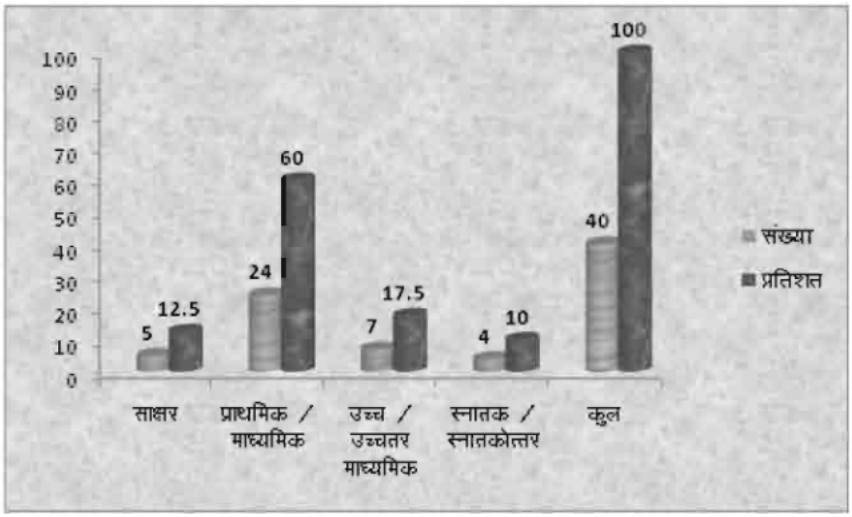

निष्कर्षः–
उपरोक्त गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक प्रतिशत महिलाऐ यह मानती है कि शैक्षिक योग्यता का कम होना भी घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण है। उच्च शिक्षा से घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है।

सारणी क्रमांक 3
लैगिंक भेदभाव के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं का वर्गीकरण

लैगिंक भेदभाव	संख्या	प्रतिशत
हाँ	31	77.5
नहीं	00	00
आंशिक तौर पर हाँ	9	22.5
कुल	40	100

सारणी क्रमांक 3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि लैगिंक भेदभाव के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित 40 महिलाओं मे से सर्वाधिक 77.5 प्रतिशत महिलाऐं यह मानती है कि घरेलू हिंसा का मुख्य कारण लैगिंक भेदभाव हैं। तथा 22.5 प्रतिशत महिलाऐं लैगिंक भेदभाव को आंशिक तौर पर घरेलू हिंसा का कारण मानती है ।

ग्राफ क्रमांक 3
लैगिंक भेदभाव के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं का आरेखीय प्रस्तुतीकरण

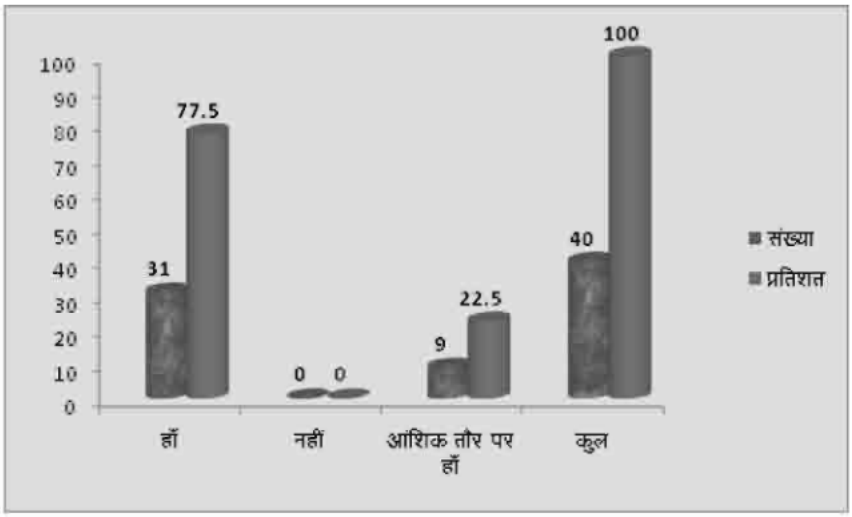

निष्कर्षः–
उपरोक्त गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि घरेलू हिंसा का मुख्य कारण लैगिंक भेदभाव हैं।

VII परिणाम

शिक्षा मनुष्य की आरंभिक आवश्यकता है। इसे लड़कों की तरह लड़कियों को भी दी जानी चाहिये। हर व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होना चाहिए ताकि बढ़ती आवश्यकताओं वाले समय में एक दूसरे की सहायता करते हुए समूचे परिवार में खुशहाली ला सके। जो शिक्षा द्वारा ही संभव हैं। अशिक्षा के कारण महिलाओं को जीवन पर्यन्त कई समस्याओं का सामना करना पढ़ता है तथा आज भी समाज में उनकी अशिक्षा के कारण ही उनका शोषण अधिक होता है। नारी शिक्षा का अभाव ही नारी समस्याओं का मूल कारण है वास्तव में अंधकार स्वयं कुछ न होकर आलोक का अभाव है नारी को विवेकशील, विचारवान एवं चेतना संपन्न होना चाहिए। अशिक्षित व्यक्ति एक प्रकार से अंधा होता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए उनको आत्मनिभर बनाकर ही उनके प्रति होने वाले घरेलू हिंसा में कमी की जा सकती है और उनके लिये सहानुभूतिपूर्ण वातावरण और उचित आवश्यक अवसर शिक्षित होगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी रहेंगी जिसके परिणास्वरूप घर का कोई भी सदस्य उन्हें प्रताड़ित करने से पहले विचार करेगा। अर्थात्, महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास ही उन्हे सफल बनायेगी।

VIII सुझाव

(क) महिलाओं को अनिवार्य रुप से शिक्षित किया जाये, क्योंकि महिलाएँ जितना अधिक शिक्षित होंगी उतना ही कानून के प्रावधान व उसकी प्रक्रिया को समझ सकती हैं और सही समय पर इसका उपयोग कर सकती हैं।

(ख) लड़कों की तरह लड़कियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिये तथा महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रयास किये जाने चाहियें, जिससे महिलाओं को भी हर क्षेत्र मे समान रूप से स्थान मिल सके। जिसके परिणास्वरूप लैगिंक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।

(ग) महिलाओं का सबसे बडा अधिकार है उन्हें स्वतन्त्र और हिंसा मुक्त रूप से जीवन जीने दिया जाये और एक मानव के नाते उन्हें मानवाधिकार के सभी अधिकार दिये जानें चाहिए।

(घ) परम्परागत एवं रुढिवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने से ही लैगिंक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1] **अग्रवाल, जे.सी.**,(1998). भारत में नारी शिक्षा, विद्याविहार, नई दिल्ली।

[2] पटेल, अनीता (2002). "महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक", योजना शोध–पत्र, वॉल्यूम 46, नम्बर 9।

[3] **अंसारी, एम.ए.**,(2003). महिला एवं मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर।

[4] गुप्ता. एच.पी. (2005). ''सांख्यिकीय विधि'' शारदा पुस्तक भवन इलाहाबद।

[5] नरूला, संजय (2007). ''रिसर्च मैथडोलाजी ''स्वरूप एण्ड सन्स, नई दिल्ली।

[6] **अहूजा, राम,** (2008). सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।

[7] सिंह, अनुपम (2011). "महिला सशक्तिकरण के अधिनियम का सामाजिक शोध", अप्रकाशित शोध–प्रबंध, समाजशास्त्र, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (उत्तर प्रदेश)।

[8] सिंह, धर्मेन्द्र कुमार (2016). "महिला यौन उत्पीड़न : समाजशास्त्रीय अध्ययन (वाराणसी नगर के महिलाओं पर आधारित)", प्रकाशित पी–एच.डी. शोध–प्रबंध, समाजशास्त्र संकाय, वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय", जौनपुर (उत्तर प्रदेश)।